जय भीम जय रिपब्लिकन जय भारत

बाबा साहेब डा. अम्बेडकर व उनकी रिपब्लिकन पार्टी जनतन्त्र की कामयाबी के लिये :- मैने बौद्ध धर्म को इस लिये पसन्द किया क्यो की इस मे तीन बातों का समावे"ा है जो किसी अन्य धर्म मे नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा करूणा एवं समता को सिखाता है। इनसे ही मनुष्य का जीवन अच्छा एवं सुखी होता है।

डॉ. अम्बेडकर

बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब

डा0 अम्बेडकर के अमूल्य रत्न

"मैं आपसे आ"वासन चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये निष्ठापूर्वक संगठित होंगे, संघर्ष करेगें और अधिकार प्राप्त होने तक पीछे नहीं हटेगें।"

जय भीम जय रिपब्लिकन जय भारत

बाबा साहेब डा. अम्बेडकर व उनकी रिपब्लिकन पार्टी जनतंत्र की कामयाबी के लिये :-

1- पार्टी के इस कारवां में हर वे व्यक्ति शामिल हो सकते है जो शोषण और बेइमानी से सम्पत्ति, ि"ाक्षा, भूमि, उद्योग, पद नेतृत्व आदि पर की गई कब्जेदारी को उनकी सभी शक्लों में समाप्त होते देखना चाहते हैं।

2- .अन्याय के विरूद्ध न्याय के लिये संघर्ष करने में अपना गौरव समझते हैं।

3- जो यह मानते है की शोषण बहुत बड़ा पाप तथा शोषक बहुत बड़ा अपराधी है।

4- जिन कारणों से समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है उनका अन्त करना अपना कर्तव्य समझते हैं।

5- जो मालिक और मजदूर तथा छोटी जाति बड़ी जाति के बंधन स्वीकार नहीं करते।

6- जो मानवधिकार के लिये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषमताओं का अन्त कर मानवता का मस्तक ऊंचा करना चाहता है।

7- जिन्होंने भय, अभाव, मंहगाई, भ्रटाचार आंतक, उत्पीड़न, आदि अमानवीय कुकृत्यों से ग्रस्त जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिये किसी भी मानवीय संघर्ष में कूद पड़ने का मन बना लिया है।

8- जन तांत्रिक सरकार के साथ ही जनतांत्रिक समाज का निर्माण चाहते हैं।

9- ऐसी सरकार चाहते हैं जहां हर एक को बराबरी के साथ बराबर बढ़ने का मौका मिले।

10- जो पूॅजीवाद व साम्यवाद के बीच के रास्ते पर जहॉ स्वतत्रंता व समता का एकत्व ऊपर तथा पूॅजीवाद व ताना"ााहीं उसके नीचे हों चलने को तैयार हैं।

दे”ा के स्वराज्य के साथ जनता के स्वराज्य के लिये संघर्श की भूमिका

1.मानव को सभी प्रकार की उन्नति का अवसर। राजनितिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता, समान ि”ाक्षा, जाति विहीन, वर्णविहीन समाज की रचनां कोई किसी का शोषण न करे, कोई किसी पर अत्याचार न करे, गरीबी का नामोनि”ाान न हो इसी का नाम स्वराज्य है।

2. स्वराज्य के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बाबासाहब ने सबसे पहले उस वर्ग को जो सभी प्रकार के मानवीय अधिकारों से वंचित था। सब प्रकार से अवनति को प्राप्त हो चुका था संगठित किया। उसे अपने अधिकरों की प्राप्ति हेतु संगठित कर प्रेरित किया। उस संषर्घ में स्वयं आगे बढ़े ओर कामयाबी हासिल की पानी पीने का अधिकार, आम रास्तों पर बराबर चलने का अधिकार व सबके समान कपड़े पहनने का अधिकार, धार्मिक स्थलों पर प्रवे”ा का अधिकार, स्कूलों मे ि”ाक्षा हासिल करने अधिकार आदि के लिये स्वयं को समर्पित कर जन चेतना की लहर पैदा की।

3. दे”ा को स्वराज्य देने निमित्त,उसके संविधान का मसविदा तैयार करने के लिये, ब्रिटे”ा गवनमेंट ने 1930 ई0 में लंदन मे भारत के सभी वर्गों के प्रतिनिधि आमंत्रित किये उनमें बाबासाहब डा0 अम्बेडकर भी थे। बाबासाहब की बहस का सारां”ा था, कि दे”ा को राजनैतिक प्रजातंत्र के साथ सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की गारंटी होनी चाहिए क्योंकि इसके बगैर राजनैतिक प्रजातंत्र ज्यादा दिनों टिक पाना सम्भव नही है। इसके लिये जनता की जनता द्वारा के वास्ते सरकार बनाने के सिद्धान्त अमल मे लाने चाहिए।

4. ऐसा करने के लिये हर बालिग को जिसकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी हो वोट का अधिकार मिले। जात-पॉत, के रहते अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति के लोग जो की हीनावस्था में सब प्रकार से अधिकार विहीन जीवन बिता रहे हैं, उन्हें अपनी बात कहने और अपनी समस्याओं को अपने आप रखने के लिये कुछ सुरक्षित

सीटों पर प्रारम्भ में केवल 10 साल के लिये अपना प्रतिनिधि अपने आप चुनने का अधिकार होना चाहिये।

5. अल्पसंख्यकों को अधिकारों के नियम के साथ उनकी सुरक्षा की भी गारण्टी भी संविधान द्वारा दी जाय।

6. गांधी जी ने दावा किया कि काग्रेंस ही सम्पूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रिटि"ा गवर्नमेंट जो भी निर्णय ले केवल कांग्रेस की राय से ले। कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप में वे (गांधी जी) यहां उपस्थित है उन्होने कहा की डा0 अम्बेडकर को अछूतों के बारे मे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। वे अछूत के प्रतिनिधि नहीं है। अछूतों के प्रतिनिधि भी वही (गांधी जी) है।

7. गांधी जी ने मुसलमानों और सिखों के पृथक निर्वाचन की मागें तो स्वीकार कर ली पर बाबासाहब द्वारा प्रस्तुत अछूतों की मागें मानने से इन्कार कर गये। बाबासाहब चाहते थे की संविधान में अछूतों का कानूनी अधिकार मान लिया जाय। अल्पसंख्यक समिति ने इसे मान लिया पर गाधी जी ने नही माना। वे इस निर्णय को ब्रिटि"ा गर्वनमेंट पर छोड़कर चले आये। सन 1932 ई0 में भारत को मिलने वाला स्वराज्य टल गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया। ब्रिटि"ा गर्वनमेंट ने भारत के अछूतों को बीस साल के लिये पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी।

8. घोषणा होते ही गॉधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होने पूना पैक्ट की यरवदा जेल में अछूतों के आरक्षण के विरूद्ध आमरण अन"ान प्रारम्भ कर दिया। उनकी जान खतरे में घोषित हो गई। लन्दन में उन्होने बाबा साहब को अछूतों का प्रतिनिधि नहीं माना था। यहॉ कांगेस के शीर्षस्थ नेता तथा कस्तूरबा गॉधी आदि ने बाबासाहब से अपील की कि वे गॉधी जी की जान बचा लें। बाबासाहब का कहना था की गॉधी जी की जान उन्हे भी प्यारी है पर उससे अधिक अछूतों के अधिकार प्यारे हैं जिन्हें वे अपने जीते जी छोड़ नही सकते।

9. बाबासाहब को मार डालने की धमकियां दी गई, वे डिगे नहीं बाबासाहब पर इतना दबाव डाला गया कि जितना संसार के किसी नेता पर न पड़ा होगा। गांधी जी ने स्वयं कहा की मेरी जिन्दगी आपके हाथ में है मेरी इज्जत पर मुझे छोड़

दीजिए। मै बहुत धिक्कार पात्र मनुष्य हो सकता हूँ -----। पूना पैक्ट की कुछ शर्तें हुयीं जिसमे यह भी था कि सुरक्षित सीटों पर क्रागेंस दखल नहीं देगी। बाबा साहेब ने साफ साफ कहा "मुझे तो अछूतों के लिये राजनैतिक सत्ता चाहिये। हमारे जीते रहने के लिये यह अनिवार्य है" ।

10. पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर के बाबासाहेब ने गांधी जी की जान बचा ली। बाबा साहब ने बताया की यदि मैं गॉधी जी के प्राण नहीं बचाता तो दे"ा की शान्ति भंग करने वाला मानवता का शुत्र आदि कहा जाता। और मेरे साथ अछूतों को भी इस लॉछन का भागी होना पड़ता। अत: मैने बड़े व्यथित ह्रदय से गॉधी जी की शर्तों पर समझौता करना स्वीकार कर लिया।

11. वह समझौता दस वर्ष के लिये था। इस बीच बाबासाहब को देखना भी था कि कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस का नेतृत्व गॉधी जी के हाथ में था। गॉधी जी छूआ-छूत मिटाने तक तो राजी हुए पर वर्ण जाति को बनाये रखने के पक्ष में रहे। बाबासाहब का कहना था कि मैं ऐसे आदमी को जो जात-पॉत या धार्मिक भेद-भाव मे वि"वास रखता हो दे"ा का नेता मामने के लिये तैयार नहीं। ब्राहाम्णवाद और पूंजीवाद ये दोनों मजदूरों के दु"मन है क्योंकि वे दोनों समता, स्वतंत्रता तथा बंधुता के विरूद्ध हैं। जात-पॉत व वर्ण व्यवस्था ने काम का विभाजन नही अपितु आदमी – आदमी का विभाजन किया है। कुछ में उच्चपन का अभिमान और कुछ में हीनता की गिरी हुई भावना । जिस व्यक्ति का मन ही मार दिया गया हो उसमें उच्चआकांक्षा कहॉ से आयेगी बलवान मन में ही धैर्य होता है। धैर्य से ही मुसीबतों से पार हुआ जाता है।

12. बाबासाहब ने सोचा की जिन परिस्थितियों में दबकर आदमी दासव्त जीवन बिता रहा है। यदि वे परिस्थितियॉ बदल दी जाय और अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया जाय। ंतो व्यक्ति की हीन भावना समाप्त होकर वह मजबूत हदय से आगे बढ़ेगा। उसे आध्यात्मिक कल्याण के बजाय भौतिक क्लायण के लिये अग्रसर किया जाय। यह काम राजनीतिक अधिकारों के माध्यम से ही हो सकता है, जिसके लिये संधर्ष शील राजनीतिक संगठन की आव"वयकता है। इस सगठन का नाम बाद में बाबासाहेब डा0 अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी रखा।

13. लोगों को बताया जाय की हिन्दू समाज का एक हिस्सा बने रहने से सम्मान और समानता का दर्जा अच्छा है। उनमें अपनी दासता अपने आप समाप्त करने की प्रेरणा भरी जाय।इन्हें ि"ाक्षित होने, संगठित होने, और संधर्ष करने के लिये प्रि"ाक्षित किया जाय। इनमे ऐसे विद्वान निकले जो शासन के किन्ही पदों पर बैठकर अपने गरीब और निरीह लोगों की देखभाल कर सके। ऐसे नेता निकले जो दूसरों से अच्छे ईमानदार, लगन"ाील और और प्रतिभावान हों। किसी के पिछलग्गू या जनता के दलाल न हों समय और परिस्थितयों के अनुसार जनता की मागों की वकालत करें । राजनीतिक दल में सभी लोग अनु"ाासित होकर रहें। पार्टी के कार्यक्रम आइने की भॉति साफ हों। संस्था के पीछे नौजवानों की शक्ति हो जो हर मौके पर पीड़ित जनता की सहायता करने में समर्थ हो। (नौजवानों की इस संस्था का नाम समता सैनिक दल रखा गया)।

यह कैसा स्वराज्य

1.देखते ही देखते कागज पर खेती करने वाला बड़ा किसान बन गया। अपनी प्रभुता व रूतबा बरकरार रखने वाला दे"ा भक्त हो गया । समाज सेवा का मन नहीं पर नेतागिरी के पे"ो में समाज सेवक हो गया। जिनके पास सब कुछ था वे एसो आराम के मंसूबो मे आगे बढ़े और जिनके पास कुछ भी नही था वे रोटियों की तला"ा में भटकने लगें।

2. स्वराज्य के नाम पर राजनैतिक सत्ता हथियाने के लिये कांग्रेस में ऐसे लोगों का समावे"ा हो गया जिनका कि अतीत में दलित व पिछड़ो के सामाजिक व धार्मिक आर्थिक जीवन पर एकाधिकारी जारी रहा। बड़े बड़े धनी लोगों ने कांग्रेस को चन्दे के रूप में धन की थैलियां खोल दीं। ताकि कांग्रेस उनसे प्रभाव में रहें। उस धन की बदौलत चुनाव में बेईमानी हो और जनता अपना असली प्रतिनिधि न भेज सके।

3. बाबासाहेब का सम्पर्क मिल मजदूरों से बहुत बचपन से था। वे उनकी दुख-पीड़ा को खूब समझते थे। वे जानते थे की मालिक और मजदूर के समबन्ध गुलामी के द्योतक है। मजदूर भी अपने हक की मागों के लिये मिल मालिक के खिलाफ उठ खड़ा हो। इसलिये उन्होने मजदूरों में काम शुरू किया। आगे चलकर जब यह

वायसराय की इक्जीक्यूटिव के लेबर मेम्बर होये तो यूनियनों को मान्यता, छुट्टी तथा सुविधायें उपलब्ध कराने के कानून बनाये।

4. बाबा साहब ने देखा कि मिल मालिकों, पूॅजीपतियों, जमीदारों ओर प्रतिक्रिया वादियों के नियन्त्रण में कांग्रेसी स्वराज्य रहेने से यह स्वराज्य अछूत, मध्यम वर्ग गरीब व पिछड़े वर्ग के घरो के कतई पहुॅचने वाला नहीं है।

5. यही धनी वर्ग के लोग अपनी प्रभुता और स्वार्थ के लिये सत्ता पक्ष व सत्ता की ओर बढ़ने वाले दल को धन देंगे। जिससे चुनावों में बेईमानी की सम्भावनायें बढ़ेगी और इस बेईमानी के कारण जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं हो पायेगा ।

6. सन् 1937 में बाबासाहेब ने इण्डिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी की स्थापना की। और बम्बई प्रदे"ा से चुनाव में 17 प्रत्या"ाी खडें किये। 15 प्रत्या"ाी विजयी हुए। यह बाबासाहेब के प्रथम राजनीतिक दल की महान सफलता थी।

7. विरोधी पक्ष मजबूत हो इसलिये चुनाव में उनकी भी सहायता की। ब्राहम्ण प्रत्या"ाीयों के लिये भी खुलकर काम किया।

8.ब्रिटि"ा गर्वनमेन्ट के सामने फिर वही पुरानी दलीलें होने लगी कि डा. अम्बेडकर तो अब खुले आम स्वतंत्र मजदूर दल के नेता हैं। वे अछूतों के नेता नहीं हैं। अतएव उन्हें अछूतों के अधिकारों के सम्बंध मै पैरवी करने का कोई अधिकार नहीं है।

9. ब्रिटि"ा गर्वनमेन्ट के अछूतों के सम्बंध मे उनकी स्थिति और अधिकारों की जांच के लिये कमी"ान बनाया।बाबासाहब ने अपना कतर्व्य समझा कि वें अछूतों को अपनी मागें प्रस्तुत करने के लिये उन्हे तैयार करें।

10. श्री क्रिप्स ने बाबासाहब से प्र"न कर दिया कि वे अछूतों के नेता हैं अथवा मजदूर दल के? इस सवाल ने उन्हें सोंचने पर मजबूर कर दिया कि अछूतों का पृथक राजनैतिक दल बनाए बगैर उनके अधिकारों के सम्बंध में मजदूर दल के माध्यम से संघर्ष करने मे कांग्रेस बहुत बड़ी बाधक सिद्ध होगी।

11. एक ओर सारा दे"ा मिलकर दे"ा की आजादी की बात करें, तो दुसरी ओर सदियों से गुलाम इन्सानों की आजादी के उठते होये सवाल को दबाने का 'ाडयंत्र हो ऐसी संकट स्थिति में रास्ता निकालना आसान न था।

12. बाबा साहब ने अनुभव किया कि अछूतपन से पैदा हुआ सामाजिक रास्ता न केवल उन्हे सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार का हिसा लेने के अयोग्य बनाता है, बल्कि उनके लिये किसी भी ऐसे अवसर की प्राति असम्भव बना देता है, उन्हे किन्ही भी ऐसे नागरिक अधिकारों का अधिकारी नही रहने देता, जिस पर मानव का सारा अस्तित्व ही निर्भर करता है।

13. यहॉ पर हर नीची सीढ़ी का वर्ग उपर वाले को सम्मान की दूष्टि से देखता है और हर उपर का वर्ग नीचे की सीढ़ी वाले को घृणा की दुष्टि से देखता है। यह सिद्धान्त बराबर अन्याय पूर्ण है।

14.यह असमानता केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक आदि अनेक रूपों मे मानव की प्रगति में पग-पग पर रोड़ा बनी हुयी है तथा शोषक जातियों का स्वरूप ले चुकी है। शोषकों व शोषितों का यह स्वरूप लोकतंत्र के रास्ते में सबसे बड़ा व्यवधान है।

15. यह स्थिति दो समाजों के कलह का प्र"न है। एक समर्थक समाज द्वारा दूसरे असमर्थ समाज पर हो रहे अतिक्रमण का प्र"न है । यह एक मनुष्य पर हो रहे अन्याय का प्र"न नहीं. बल्कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर जबरदस्ती किये जा रहे अतिक्रमण का प्र"न है एक वर्ग द्वारा जो सदियों से समर्थ है शक्ति"ाली है निर्धन निर्बल, दलित वर्ग पर किये जा रहे जुल्म व शोषण तथा उत्पीड़न का प्र"न है। जिसे हल करने की चिन्ता कांग्रेस या किसी अन्य दल को नहीं है।

16. पूना पैक्ट के बाद कांग्रेस ने सबसे बड़ी वायदा खिलाफी यह की कि उसने सुरक्षित सीटों को अपने हाथ में ले लिया। आरक्षित क्षेत्र ऐसे बनवाए जहां हिन्दुओं का बहुमत हो इससे शोषित समाज के साथ खुला धोखा हुआ क्यों कि प्रतिनिधित्व खुले आम शोषक समाज का हो रहा। वायदा किया था कि पूना पैक्ट

के बाद किसी को जन्म से अछूत नही माना जायेगा। कथनी और करनी का अन्तर साफ दिखाई पड़ने लगा।

भोड़यूल्ड कास्ट फेडरे"ान

1. संघर्ष तो शेड्यूल्ड कास्ट के खोये हुये अधिकरों के प्राप्त करने के लिये करना ही था। जुलाई सन् 1942 में नागपुर में आल इडिण्या शेड्यूल्ड कास्ट कानफ्रेन्स बुलाई गयी। पूना पैक्ट के बाद स्थिति का जायजा लेते हुए पाया गया कि खोये हुये अधिकारों को प्राप्त करने के लिये राजनीतिक संगठन की महती आव"यकता है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति के बगैर दलितों का समाज में समानता का दर्जा नहीं प्राप्त हो सकता। सभा ने सर्व सम्मति से शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"ान नामक संगठन बनाने का नि"चय किया। इसकी अध्यक्षता श्री एन0 ि"ावराज ने की।

2.शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"ान ने चुनाव लड़ा। 90 प्रति"ात शेड्यूल्ड कास्ट के प्राप्त मतों के ऑकड़े निकाल कर बाबासाहेब ने दिखा दिया कि यह हमारी शक्ति है।

3. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"ान ने बाबासाहेब के नेतृत्व द्वारा सरकार के सामने अछूतों की बहुत सी मागें पे"ा की।

4. अछूत विद्यार्थियों के लिये उच्च ि"ाक्षा की सुविधायें प्राप्त हुई केन्द्रीय तथा रेलवे की नौकरियों में अछूतों के लिये 12.5 प्रति"ात स्थान सुरक्षित हुए।

5. देहली मे अपने बंगले पर बाबासाहेब हर गरीब से मिलते थे उनका निवास "इन्साफ की कोठी" नाम से कहा जाता था।

6. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"ान की ओर से एक पुस्तिका प्रकाि"ात हुई जिसमे बताया गया कि पूना पैक्ट पर दबाव डालकर बाबासाहेब से हस्ताक्षर करवाये गये। अछूतों के साथ अन्याय हुआ।

7. ब्रिटेन से एक पार्लियामेण्टरी डेलीगे"ान भारत की राजनीतिक समस्यओं के जांच के लिये आया। यह डेलीगे"ान शेडयूल्ड कास्ट फेडरे"ान के अध्यक्ष राव बहादुर एन.

ि"ावराज से और बाबासाहेब डा0 अम्बेडकर से मिला। कैबिनेट मि"ान ने भारतीय नेताओं से पराम"ार्ा किया।

8. कांग्रेस तथा अछूतों के सारे मतभेद एक मौलिक प्र"न पर दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण गहरे होते गये। वह मौलिक प्र"न यह था कि अछूत हिन्दुओं से अलग एक पृथक सामाजिक समुदाय है या नहीं ? इस प्र"न पर अछूतों का दृष्टिकोण था कि वे एक स्वतंत्र समुदाय है। कांग्रेस का मत था कि वे हिन्दू समाज का एक अंग है और इस कारण उन्हें पृथक से कोई अधिकार दिये जाने की कोई आव"यकता नहीं।

9. भारत के सारे हिन्दू अखबार कांग्रेस का साथ दे रहे थे। काग्रेस के प्रतिनिधि अंग्रेज को यही समझा रहे थे कि सवर्ण और अवर्ण हिन्दू मे कोई अन्तर नही है।

10. 'ाड़यंत्र हो ही रहा था कि वायसराय की काउन्सिल में सीटों में अछूतों को कोई भी सीट न मिले। बाबासाहेब की मांग थी कि इन्हें 3 सीटें मिलनी चाहिए। अन्तोगत्वा बाबा साहब के प्रयास से अछूतों को दो स्थान प्राप्त हो गये।

11. पुन: 'ाड़यंत्र हुआ।ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि वायसराय की काउन्सिल में केवल एक ही अछूत सदस्य होगा वह भी काग्रेस का प्रतिनिधि।

12. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"ान ने मांग की कि इस अंत: कालीन सरकार में 6 करोड अछूतों, 40 लाख सिक्खों और 30 लाख ईसाइयों को समान मान कर सबों को एक-एक सीट दी जाय यह अछूतों के साथ घोर अन्याय है। अछूतों का प्रतिनिधित्व आल इण्डिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"ान नहीं करता है। हिन्दूओं के वोटों के बहुमत के बल पर जीत कर जाने वाला अछूत, अछूतों का प्रतिनिधि किसी भी दसा मे नही हो सकता।

13. 4 जून सन् 1946 आल इण्डिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"ान ने इस अन्याय के विरूद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही का निर्णय लिया। सम्पूर्ण भारत मे फेडरे"ान ने सत्याग्रह आन्दोलन छेड दिया। ऐसा आन्दोलन कांग्रेस के इतिहास में भी न हुआा होगा।

14. नौंकरियों में 19 प्रति"ात आरक्षण शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"ा के सत्याग्रह आन्दोलन मे रखी गई मागों मे से एक है।

15. तय हुआ कि भारत का भावी विधान बनााने का कार्य विधान निर्मात्री परिषद करेगी।

16. कांग्रेस की ओर से पूरी चौकसी थी कि बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर इस विधान परिषद में न पहुॅच पायें। बंगाल शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"ा के अध्यक्ष माननीय जोगेन्द्र नाथ खण्डल उन दिनों बंगाल सरकार के न्यायमंत्री थे।उन्होने बाबा साहब का बंगाल से नामांकन करा दिया।

17. बंगाल ऐसम्बली मे कुछ योरोपियन सदस्यों के वोट थे जिन्होने बाबा साहेब को वोट देने का वायदा कर लिया था।

18. कांग्रेस ने अन्दोलन शुरू कर दिया कि बंगाल ऐसम्बली के योरोपियन विधान परिषद के लिये वोट न दें क्योंकि भारतीय विधान से योरोपियनों से कोई मतलब नही है। भारतीय सरकार ने कांग्रेस की यह मांग सवीकार कर ली।

19. भारत के एक राष्ट्रीय दल का यह आदे"ा कि किसी भी दसा मे डा0 अम्बेडकर को विधान परिषद का सदस्य नही चुना जाना चाहिये। अछूतों के लिये यह बहुत बड़ी चुनौती थी।

20. माननीय मण्डल जी ने इस तगड़े विरोध और पग-पग पर पड़ने वाली कठिनाईयों के बावजूद भी सब्र और चतुराई से बाबा साहब को विजयी बना दिया।किन्तु भारत विभाजन के बाद बंगाल का भाग पाकिसतान मे जाने के कारण बाबा साहब का वहीं से प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया और वे पुन: बम्बई से चुनकर केन्द्र में आये।

21. अछूतों का भविष्य अन्धकार मे देख आल इण्डिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"ान के अध्यक्ष राय बहादुर एन0 ि"ावराज तथा बाबासाहेब अम्बेडकर को ब्रिटि"ा राजनीतिज्ञों से मिलनें लन्दन जाना पड़ा। राजनीतिज्ञों को समझाया जा चुका था कि अछूतों की मागें पाकिस्तान की तरह खतरनाक है। लेकिन बाबासाहेब की बातें सुनने के बाद

उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि अछूतों के राजनीतिक अधिकारों की मांग केवल जायज ही नही बल्कि जरूरी भी है।

22. बाबासाहेब ने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री श्री किल्मेंट एटली को दिया, जिसे पढकर उन्हें लाचार होना पडा कि अछूतों के साथ अन्याय हुआ है। प्रधानमंत्री के समझ मे आया कि अछूतों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नही "आल इण्डिया शेडयूल्ड कास्ट फेडरे"ान" कर रहा है। उन्होने आ"वासन दिया कि यदि अछूतों के साथ अन्याय हुआ तो उसका भरपूर इन्तजाम होगा। तथा "अछूतों के अधिकारों की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है"।

23. बाबासाहेब के लन्दन पहुॅच जाने से उन्हें उनके मि"ान मे काफी सफलता मिली। अछूतों की रक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा की आ"ाा बंधी। मंजिल की सफलता मिल गई। हिन्दू विधानों की गुलामी में जकड़े अछूतों के कई युगों के बाद स्वतंत्रता की सांस लेने का मौका मिला। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"ान ने भारत के बनने वाले संविधान मे अपने सुझाव रखने के लिये अपना मसविदा छपवा कर वितरित करा दिया।

24. इसे ही कहते हैं समय का चक्र। भारतीय संविधान बनाने का भार बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर पर ही पड़ा। प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने उन्हे अपनी कैबिनेट में विधिमंत्री का पद दिया। बाबा साहेब संविधान की मसविदा समिति के चेयरमैन हुए।

25. 9 सितम्बर सन् 1946 ई0 को डा. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हुए। पं0 नेहरू ने प्रसताव रखा स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता प्राप्त प्रजातंत्र। बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव तब तक स्थगित रखा जाये जब तक कि इस सभा में मुस्लिम लोग व भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि न आ जाएं। उन्होने यह भी कहा कि इस प्रस्ताव मे उन दिनों हीनों के लिये भी संकेत किया जाय जो भारत के मूलनिवासी हैं और सदियों से यातनाएं सह रहें हैं। पं0 नेहरू जी को यह प्रस्ताव अगले अधिवे"ान 20.1.1947 में पास हो गया।

26. बंगाल का वह हिस्सा जहॉ से बाबासाहेब चुन कर आये थे विभाजन मे पाकिस्तान के पास चला गया।तब वे पुन. बम्बई लेजिस्लेटिव करउन्सिल से चुनकर

विधान निर्मात्री परिषद में पहुचें। बाबा साहेब ने भारत के विभाजन को रोकने का भरसक प्रयत्न किया।उनका कहना था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भांति ही संयुक्त भारत (यूनाइटेड इण्डिया) का रूप स्वीकार कर लिया जाये।जब उनकी यह बात नही मानी गयी तो उन्हें कहना पड़ा कि यह विभाजन मुसलमानों को यह सोचने पर विव"ा करेगा कि यूनाइटेड इण्डिया ही अच्छा हल था।

27. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"ान ने जिसके अन्दोलन के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जातियों को कुछ मिल पाया है। अपनी मागों को लेकर दे"ाव्यापी जर्बदस्त आन्दोलन किया। जिसमें लाखों सत्याग्रहियों को जेल की यातनाएं भुगतनी पड़ी। उन्हीं मांगो की बदौलत भारतीय संविधान मे दलित व कमजोर वर्गों की सुविधाओं व संरक्षण को स्थान मिला है।

28. यद्यपि पिछड़े वर्गों ने अपने अधिकारों के लिये कोई आन्दोलन नही किया फिर भी बाबासाहेब ने न्यायिक एव मानवीय दृष्टिकोण से उन्हे भी सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन के लिये सुविधायें प्राप्त करने का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 जोड़ दिया।

29. भारतीय सविधान के पास होने के बाद 25 अप्रैल सन् 1948 को बाबासाहेब लखनऊ में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरे"ान की कान्फ्रेन्स में आये। उन्होने कहा कि जिस उद्दे"य के लिये वे जीवन भर लड़े उसे पूरा करने का अवसर मिलने से वे विधिमंत्री बने और संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी ली। उन्होने कहा कि न तो वे कांग्रेस सदस्य बने न काग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और न कभी कांग्रेसी बनने का इरादा ही किया। कांग्रेसी सरकार ने उन्हें कैबिनेट मे सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। बिना किसी शर्त में बधें निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मुझे जिस समय प्रतीत होगा कि वहां ठहरने से लाभ नहीं, मैं बाहर निकल आउॅगा।
30. "पार्लियामेन्टरी प्रजातंत्र में एक क्रिया"ाील विरोधी दल अनिवार्य है। कांग्रेस किसी भी विरोधी को नही चाहती है। कांग्रेस विभिन्न मतों के लोगों को एक ही खेमे में इक्कठा करना चाहती है"

31. कांग्रेस एक जलता हुआ मकान है। कांग्रेस के लोग ही उससे निकल रहें है। कांग्रेस में ही बहुत से लोग ऐसे है प्रबल विरोधी पक्ष की आव"यकता का अनुभव कर रहें है।

32. कांग्रेस में शामिल होने से कोई लाभ नही। दो पार्टियां बनी रहने मे ही सुरक्षा है "मै पत्थर हूं कितनी भी गहराई मे डाल दिया जाउं फिर भी पत्थर ही निकलूंगा। तुम मिट्टी के ढेले के समान हो वहा पहुंच कर धुल जाओगे।"

33. "बालिग मताधिकार ने जनता के हाथों में सत्ता सौंप दी है। यू.पी के डेढ़ करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट और दो करोड पिछड़े वर्ग के लोग एक साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर संघर्ष करें तो वे विधान सभाओं में आधी से अधिक सीटों पर अपने लोगों को पहुॅचा सकते हैं। और इस प्रकार राजनीतिक सत्ता पर अपना अधिकार कर सकते हैं।"

34. यह सचमुच बड़े खेद की बात है कि दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी- अपनी शक्ति का मान और अभिमान नही है इसी का यह परिणाम है कि कथित उच्च वर्गीय लोग शासन पर अपना अधिकार जमायें बैठें हैं।
35. परिगणित जातियां और पिछड़ा वर्ग परस्पर मिलकर दे"ा का बहुमत बनाते है। इसका कोई कारण समझ में नहीं आता कि वे लोग दे"ा पर अपनी हुकूमत क्यों नहीं करते। आप राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिये परस्पर संगठित हों।
36. कितने दुख का विषय है कि पिछड़े एवं अछूत दोनों वर्ग जिनकी आव"यकतायें समान हैं परस्पर एक साथ नहीं हैं।इसका यही कारण हो सकता है कि पिछड़े वर्ग के लोग समझते है कि इनके साथ होने पर वे परिगणित हो जायेगें इसलिये उन्हे डर है कि कहीं वे भी नीचे उतरकर अछूत जातियों के स्तर पर न आ जायें।
37. मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि ये पिछड़े वर्ग के लोग अपना एक अलग मोर्चा खड़ा करें अलग- अलग रहने से पिछड़े वर्ग के लोगों को बड़ी हानि हुई है।

38. "मैं पिछड़े वर्ग और अनुसुचित जातियों के बीच रोटी बेटी का चलन चलाने का उत्सुक नही हूं। पिछडे वर्ग के लोग अपनी सामाजिक पृथकता बनायें रख सकते

हैं। लेकिन इसका कोई कारण नही है कि वे अपने आपकी अपनी गिरी हुई हालत से उपर उठाने के लिये परस्पर मिलकर एक राजनीतिक पार्टी क्यों नही बना सकते।"

39. दे"ा की राजनीति में हिस्सा लेकर परिगणित जातियों ने जिस तरह अपनी हालत को कुछ अच्छा बना लिया है इसका कोई कारण नहीं है कि पिछड़े वर्ग के लोग भी ऐसा क्यों नही करते।

40. बालिग मताधिकार की शक्ति आपकी की मुठठी में है। लोग उत्साह और साहस से काम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन पर यह मिथ्या वि"वास सवार है कि कांग्रेस सरकार हमे"ाा बनी रहनी है। यह बिल्कुल गलत ख्याल है। जनता की लोकतांत्रिक शासन प्राणली में कोई भी सरकार हमे"ाा नहीं बनी रहेती। आज एक पार्टी के हाथ मे शासन है तो कल दूसरे के हाथ मे होगा। यही बात हर सरकार के लिये सही है। पं0 नेहरू और सरदार पटेल जैसे ऊंचे दर्जे के नेताओं के लिये यही सही है। यदि आप संघठित हो जाये ंतो आप अपनी सरकार बना सकते है।

41. मेरा परार्म"ा यह है कि आपको एक तीसरी पार्टी के रूप में पृथक संगठित होना चाहिए। सिर्फ पिछलग्गुओं की तरह रानीतिक दल मे शमिल होने से कोई लाभ नही। यदि वह हमें कुछ भी दे सकती है तो दफतर दे सकती है। वह हमें शक्ति नहीं दे सकती।

42. बाबा साहेब ने लखनऊ में कान्फ्रेंस में जिस तीसरे दल को बनाने की घोषणा की थी उसे उन्होने 13 अक्टूबर 1956 को स्वयं ही "रिपब्लिकन पार्टी" बनाने का प्रेस वक्तव्य दिया तथा 30 नवम्बर सन् 1956 को दिल्ली में आल इण्डिया शेडयूल्ड कास्ट फेडरे"ान को भंगकर फेडरे"ान के स्थान पर "भारतीय रिपब्लिकन पार्टी" की स्थापना कर दी।बाबा साहेब का अंतिम मार्मिक संदे"ा हमारे सामने है।

43. मेरे शोषित व गरीब भाईयों। मैनें तूम्हारे लिये जो कुछ भी किया है, वह बेहद मुसीबतों, अत्यन्त दु:खों और बे"ुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। यह कारवां आज जिस जगह पर है इस जगह पर मै इसे बड़ी मुसिबतों के साथ लाया हूॅ। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवॉ सदा आगे ही बढ़ता रहे बेसक कितनी ही रूकावटें क्यों न आएं। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सकें तो इसे यहीं छोड़

दें। पर किसी भी हालत में इसे पीछे न जाने दें। अपने लोगों से यही मेरा संदे"ा है।"

रिपब्लिकन पार्टी की दि"ाा

1. बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी न्याय, स्वतंत्रता, समता व बन्धुता की रक्षा के लिये बनी है। न्याय का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता का अर्थ है विचारों की अभिव्यक्ति वि"वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता का अर्थ है पदवी, दर्जा और सब सुयोगों की प्राप्ति में समता। बन्धुता का अर्थ है व्यक्तिमय गौरव और एक राष्ट्रीयता में बन्धुता। इसे पाना ही हमारा लक्ष्य है।

2. हमने लोकतांत्रिक सरकार स्वीकार की है लोकतांत्रिक जीवन के साथ। हमने भारत के संविधान में अपने को जाति नहीं, वर्ग नहीं, भाषा नहीं, प्रदे"ा नहीं, बल्कि भारत की सीमाा में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को एक यूनिट बनाकर शब्द 'लोग' का प्रयोग किया है इस 'लोग' शब्द में ही धर्म निरपेक्षिता का सार छिपा है।

3. राष्ट्रीय मुद्रा में सम्राट अ"ाोक के स्तम्भ के शीर्ष भाग जिसमें चारों दि"ाओं की ओर मुख करके बैठे हुए चार सिंह धर्म निरपेक्ष राज्य की गर्जना के प्रतीक हैं। इसक नीचे चौकी पर हाथी, बैल, अ"व और सिंह जोकि प्रत्येक के साथ दौड़ते हुऐ दिखाई पड़ते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंन्धुता के एकता के प्रतीक हैं। महान सम्राट अ"ाोक का धर्म निरपेक्ष हमारा आर्द"ा है। (पे"ाावर के पास शाहवाज गढ़ के पत्थरों पर सम्राट अ"ाोक के धर्म निरपेक्ष सम्बंधी वाली भाषायें लिखे लेख) का अर्थ है:- आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि कई रूपों मे प्रकट होती है। पर उसकी जड़ है वाणी का संयम ताकि हम अपने धर्म की बड़ाई करने से बच सकें वा दूसरे धर्म की निन्दा करने से बच सकें। सुयोग्य अवसर आने पर दूसरे धर्म के मानने वालों का समुचित सम्मान करना चाहिए। इस तरह हम स्वयं अपनें धर्म वालों का सम्मान बढ़ाते हैं और दूसरे धर्म वालों की भी सहायता करते है। इससे विपरीत चलने पर

हम अपने धर्म को भी नुकसान पहुॅचाते हैं और दूसरों के धर्म का भी उपकार करते हैं जो अपने धर्म का आदर करता है और दूसरे धर्म की निन्दा करता है व उसे अपने धर्म से नीचा दिखाता है, और अपने धर्म को दूसरें धर्म से बड़ा मानता है वह वास्तव मे अपने धर्म को सबसे अधिक हानि पहुॅचाता है।

4. रिपब्लिकन पार्टी के सामने धार्मिक एकताओं के बजाय भारतीय एकता का सवाल है। हम गरीबी के सबसे बड़े दो कारणों भय व अभाव को समाप्त कर व्यक्ति को पुरूषार्थी बनाते हुए सुखी जीवन की ओर ले जाना चाहते हैं। इस उद्े"य की पूर्ति के लिये हमें भ्रष्टाचार की संस्कृति मिटानी होगी।

5. हमने अपने कार्य की दि"ाा प्रतिज्ञाब्द्ध सिद्धान्तों को सम्मुख रखते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आधार ि"ाला मान कर नि"चत की है- पार्टी भारतीय संविधान एवं विधि द्वारा स्थापित समजवाद, धर्म निरपेक्ष तथा प्रजातात्रंत्मक सिद्धान्तों के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ निष्ठावान रहेगी। इस सम्बंध में हमारी पार्टी बाबा साहेब का सारगर्भित सिद्धान्त अपना रखा है-

"राष्ट्रीयता एक सामाजिक चेतना है, एकता के संयुक्त भावों का आभास ही राष्ट्रीयता है। जिसमे व्यक्ति एक दूसरे को अपना सगा संबन्धी समझने लगता है। यह राष्ट्रीय बोध एक दूसरे को इतनी मजबूती से एक सूत्र में बॉधे रहता है कि आर्थिक तथा सामाजिक विषमाताओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रीय एकता का मर्म तथा सार है।" पार्टी के हर सदस्य में राष्ट्र के लिये गहन मानवीव बोध है-

"अजीब कौम का रि"ता है इन्सानियत से मेरा,

दर्द किसी का भी हो अहसास मुझे होता है।"

बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के मूल तत्व की जो धरोहर हमे सौपी है उसे हमने अपने राजनीतिक जीवन की अमूल्य निधि मानते हुए उसकी समुन्नति व रक्षा हेतु कार्यकरमों की दि"ाा अपनाई है। भरतीय संविधान की प्रस्तावना मे कहा गया है कि "हम, भारत के लोग एक सम्पूर्ण

प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोगतांत्रत्मक गणराज्य बनाने के लिये और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, वि"वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये, तथा उन सब में व्यक्ति की गरीमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनि"चत कराने वाली बन्धुता पाने के लिये गम्भीरता पूर्वक नि"चय करते हैं।"

6. प्रस्तावना मे निहित लक्ष्य व उद्दे"य यानी न्याय, स्वतंत्रता, समता, व बंन्धुता को पाना ही उत्तर प्रदे"ा रिपाब्लिकन पार्टी का लक्ष्य व उददे"य है।

7. पार्टी इस लक्ष्य व उद्दे"य की पूर्ति के लिये भारत के इस संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहते हुए राष्ट्र की अखंडता व एकता धर्म निरपेक्षता तथा लोकतंत्र की रक्षा से युक्त समाजवाद की स्थापना के लिये कृत संकल्प है।

8. पार्टी के इस लक्ष्य व उद्दे"य के कारण जनता के मामले में उत्तर प्रदे"ा रिपाब्लिकन पार्टी का रूख नीचे लिखे सिद्धान्तों द्वारा निर्दे"ित है।

9. राज्य समाजवाद (स्टेट सो"ालिज्म) को संविधान विधि द्वारा स्थापना व संसदीय लोकतंत्र की रक्षा करना।

10. पार्टी हर भारतीय को कानून के सामने न सिर्फ समान समझेगी बल्कि समता का अधिकारी मानेगी और तदनुसार जहॉ समता नहीं है वहीं उसे बढ़ावा देगी तथा जहॉ मानी नही जाती वहॉ कायम करेगी।

11. पार्टी बिना जाति, लिंग, सम्प्रदाय एवं धर्म के भेदभाव सभी नागरिकों हेतु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक न्याय दिलायेगी तथा हर प्रकार के शोषण से उन्हें मुक्ति दिलायेगी।

12. पार्टी प्रत्येक भारतीय को अपने निजी ढंग से उन्नति व विकास करने का पूर्ण अधिकारी मानेगी और राज्य को उसका एक साधन मात्र समझेगी।

13. पार्टी सभी नागरिकों को शासन के सभी संगठनों एंव कार्ययलों में र्पयाप्त प्रतिनिधित्व दिलायेगी वि"ोष रूप से शूद्रों [अनुसूचित जाति/ जन जाति, पिछडे वर्ग] एवं अल्पसंख्यकों को।

14. पार्टी प्रत्येक भारतीय के आर्थिक, धार्मिक राजनीतिक अधिकारों की स्वतंत्रता का समर्थन उसी सीमा तक करेगी जहॉ तक दूसरे भारतीयों तथा राज्य के लिये बाधक न हो।

15. पार्टी का शासन बतौर नीति के किसी धर्म के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नही करेगी परन्तु धर्म निरपेक्ष होने के नाते सभी धार्मिक स्थल उसके अनुयाईयों हेतु खुले रखे जायेगें ।

16. पार्टी प्रत्येक भारतीय के समानता के अधिकार सर्मथन इस शर्त के साथ करेगी कि पहले उन लोगों को अवसर दिया जाय जिन्हे अब तक अवसर प्राप्त न था। बाद मे उन लोगों को जिन्हें पहले से प्राप्त है।

17. पार्टी प्रत्येक भारतीय को दासता, दरिद्रता भय और अभाव से मुक्त कराने के लिये संघर्ष करते हुए राज्य को सदैव सचेत करती रहेगी।

18. पार्टी स्वतंत्रता, समता, और बंधुता के प्रतिपालन पर बल देगी। तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के वर्ग और राष्ट्र के शोषण और दलन को मिटा देने में प्रयत्न"ाील रहेगी।

19. पार्टी राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता सम्प्रदाईक सौहाद्रता तथा धार्मिक सहन"ाीलता को न केवल कायम रखेगी बल्कि इनको सुदृढ़ बनाने का हर सम्भव प्रयास करेगी।

20. पार्टी अर्न्तराष्ट्रीय शान्ति, भ्रातृत्व एक दूसरे को समझने, आपसी सहयोग तथा शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने के लिये कार्य करगी तथा युद्ध रहित वि"व की स्थापना हेतु वि"व के शक्तिशाली साधनों मे संगठनों का उपयोग करेगी।

21. पार्टी शासन की संसदीय प्रणाली का सर्मथन करेगी क्यों कि यह सर्वोतम शासन प्रणली होने के कारण जनता और व्यक्ति दोनों के लिय हितकर है।

22. पार्टी भारत की दबी, पिसी जनता खास कर बौद्धों और अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम व अन्य पिछड़ी जातियों संगठन व कल्याण मे लगेगी।

23. पार्टी सामाजिक सुरक्षा योजना के कार्य मे लगेगी।

24. पार्टी उन व्यक्तियों के कार्य में सुधार लायेगी जो अस्वच्छ पे"ाा में लगें हैं।

25. पार्टी उत्पादनों के साधनों का न्यायोचित वितरण करेगी पूर्ण रोजगार उपलब्ध करायेगी और यदि किसी असम्पन्न नागरिक को रोजगार देने मे कमी हुई तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। सभी नागरिकों का अनिवार्य बीमा होगा तथा समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जायेगा। वेतन मे एक और दस से अधिक का अन्तर न होगा।

26. पार्टी जमीन का बन्दोबस्त करायेगी तथा अधिकतम भूमि सीमा का सिद्धान्त कर निकली हुई जमीन भूमिहीन, खेतिहर मजदूरों प्रति परिवार एक हल की खेती के हिसाब से वितरित करायेगी। बाग व निजी तथा सहकारी फार्म सभी सीलिंग के अर्न्तगत माने जायेगे।

27. पार्टी उन सभी लोगो को चाहे वे ि"ाक्षित हों या अि"ाक्षित बेरोजगार मानकर उन्हें रोजगार में लगायेगी जिनके परिवार के पास गुजारे लायक कोई पे"ाा नही है।

28. पार्टी ग्रामीण जनता को आवसीय व्यवस्था का हल इस ढंग से करेगी कि हर परिवार के पास उसके अपने मकान के लिये नि"चित सीमा की आव"यक भूमि प्राप्त हो।

29. पार्टी जातिविहीन बस्तियां बसाने व उनके निवासियों के मानवीय उत्थान में लगेगी।

30. पार्टी ि"ाक्षा को अनिवार्य मान कर 12 वें दर्जें तक सभी लड़के लड़कियों को नि"ाुल्क ि"ाक्षा प्रदान करगी।

31. पार्टी गांवों मे म"ाीनरी उद्योगों की स्थापना करेगी।

32. किसानों, भूमिहीन मजदूरों, कारखाने के करीगरों व मजदूरों व अन्य मजदूरी करने वालों के संगठन व उत्थान में लगेगी।

33. पार्टी मानवीय अधिकारों से वंचित व्यक्ति, वर्ग तथा जाति व समाज को यथास्थिति से हटा कर परिवर्तन की दि"ाा मे मानवोचित अधिकार दिलाने मे प्रयत्न"ाील रहेगी।

34. पार्टी ि"ाक्षा की दोहरी नीति के स्थान पर समान ि"ाक्षा के सिद्धान्तों को लागू करगी।

35. पार्टी हर स्तर का तथा हर प्रकार का भ्रष्टाचार वि"ोष रूप से राजनैतिक जीवन का समाप्त करेगी।

36. पार्टी सभी अल्पसंख्यकों के साथ न्याय और समव्यवहार को सुनि"चित करने के लिये संघर्ष करेगी।

37. पार्टी सभी भारतीयों के चारित्रिक एवं अध्यात्मिक उत्थान के लिये सभी कार्यवाही करेगी।

38. पार्टी कला एवं दस्तकारी सिखाने वाले स्कूलों की स्थापना जैसे शैक्षणिक कायों को करेगी।

39. दबे, पिछडे, शोषितों, दलितों, पीड़ितों पर होने वाले दमन एवं अत्याचारों के अभिलेख रखेगी एवं उनको दूर करायेगी।

40. पार्टी मुद्राणालय संचालित करेगी और साहित्य का प्रका"ान करायेगी पार्टी बाबासाहेब डा0 अम्बेडकर द्वारा नि"चित सिद्धान्तों के साथ उपरोक्त लक्ष्य उद्े"य एवं सिद्धान्तों की प्रतिक्रियात्मकता को प्राप्त कराने वाले हर कार्य को करेगी।

उत्तर प्रदे"ा रिपब्लिकन पार्टी व मानव अधिकार

भारत सयुक्त राष्ट्र सघ का सदस्य है और दूसरे दे"ाों में जाकर मानवधिकार की जडाई लड़ता है। इस दि"ाा मे पूरी तौर पर भारत की इस लड़ाई के साथ है ।

रिपब्लिकन पार्टी लम्बे अरसे से राज्य सरकार एंव केन्द्र सरकार से बराबर मांग कर रही है कि मानवीय अधिकरों के विरूद्ध होने वाले अन्याय को रोकने व मानव अधिकारों की रक्षा के लिये सरकार प्रत्येक जिलें मे पृथक से मानवअधिकार न्यायालय की स्थापना करे। समय आ गया है की भारत स्वंतत्रता संग्राम के बाद मानव अधिकार का यह दूसरा स्वंतत्रता संग्राम उत्तर प्रदे"ा रिपब्लिकन पार्टी अकेले ही पूरी तैयारी और ताकत से लडेगी।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोशणा

मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतरनिहित गरिमा और समान तथा अभेद्य अधिकार वि"व मे स्वतंत्रता, न्याय और शांति के आधार है। मानव अधिकारों की उपेक्षा और अपमान के परिणाम स्वरूप ऐसे बर्बर कार्य हुए हैं जिन्होने मानव की अर्न्तरात्मा पर आघात किया है और ऐसे वि"व के निर्माण को जिसमे मानव वाक् स्वतंत्रता और वि"वास की स्वतंत्रता का तथा भय और आभाव से मुक्ति का उपभोग करेगें, जन सामान्य की उच्चतम आकांक्षा घोषित किया गया है।

यदि मनुष्य को अत्याचार और उत्पीड़न के विरूद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह का अवलम्ब लेने के लिये विव"ा नही किया जाता है तो यह आव"यक है कि मानव अधिकारों का संरक्षण विधि सम्मत शासन द्वारा किया जाना चाहिए। यह कि राष्ट्रों के बीच मैत्री पूर्ण सम्बन्धों के विकास की वृद्धि करना आव"यक है।

संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने चार्टर में मूल मानव अधिकारों में मानव देह की गरिमा और महत्व तथा पुरूषों और स्त्रियों के समान अधिकारो मे अपने वि"वास की पूना: पुष्टि की है और सामाजिक प्रगित करने तथा अधिकाधिक स्वतंत्रता के साथ उत्कृष्ठ जीवन स्तर की प्राप्ति का निर्णय किया है। सदस्य राज्यों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहीयोग से मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सार्व भौम सम्मान जाग्रत करेंगे और उनका पालन करायेंगे। इन अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति एक ही दृष्टि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह सफल बनाने के लिये अत्यधिक महात्वपूर्ण है।

इसीलिये:- मानव अधिकारों की इस महासभा सार्व भौम घोषणा को सभी लोगों और राष्ट्रों के लिये इस उद्े"य की प्राप्ति के लिये एक सामान्य मानक के रूप मे उद्घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग घोषणा को निरतंर ध्यान मे रखते हुए ि"ाक्षा और संस्कार द्वारा इन अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सम्मान जाग्रत करेगा और राष्ट्रीय तथा अंर्तराष्ट्रीय प्रभावी उपायों के द्वारा सदस्य राज्यों के लोगों के बीच ओर अधिकारिता के अधीन राज्य क्षेत्रों के लोगों के बीच इन अधिकारों की वि"वव्यापी और प्रभावी मान्यता और उनके पालन को सुनि"चत करने के लिये प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 1-

सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान है। उन्हे बुद्धि और चेतना प्रदान की गई है उन्हें परस्पर भ्रातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिए।

अनुच्छेद 2-

प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा मे उपवर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रता के काहकदार है इसमें मूलवं"ा, वर्ण, लिंग, भाषा धर्म और राजनैतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय य सामाजिक उद्भव, सपत्ति, जन्म या अन्य प्रसथिति के आधार पर कोई विभेद नही किया जायगा।
इसके अतिरिक्त किसी दे"ा या राज्य क्षेत्र की चाहे स्वाधीन हो, न्याय के अधीन हो, या प्रभुता पर किसी मर्यादा के अधीन हो, राजनैतिक अधिकारिता विषयक या अंतरराष्ट्रीय प्रस्थिति के आधर पर दे"ा या राज्य क्षेत्र के किस व्यक्ति से कोई विभेद नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 3-

प्रत्येक व्यक्ति को प्राण, स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 4-

किसी भी व्यक्ति को दास या गुलाम नही रखा जायेगा की दास्ता और दास व्यापार प्रतिषिद्ध होगा।

अनुच्छेद 5-

किसी भी व्यक्ति को यातना नही दी जायेगी, या उसके साथ क्रूर अमानवीय व अपमान जनक व्यवहार नही किया जायेगा या उसे ऐसा दण्ड नही दीया जायेगा।

अनुच्छेद 6-

प्रत्येक व्यक्ति को सर्वत्र विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप मे मान्यता का अधिकार है।

अनुच्छेद 7-

सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है और किसी विभेद के बिना विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं। सभी व्यक्ति इस घोषण के अतिक्रमण में विभेद के विरूद्ध और ऐसे विभेद के उद्दीन के विरूद्ध समान संरक्षण के हकदार है।

अनुच्छेद 8-

प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या विधि द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरूद्ध सक्षम राष्ट्रीय अधिकरणों द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार है।

अनुच्छेद 9-

किसी भी व्यक्ति को मनमानी ढंग से गिरफतार निसद्ध या निर्वसित नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 10-

प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों बाध्यताओं के ओर उसके विरूद्ध अपराधिक आरोप के अवधारण मे पूर्णतया समान रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार द्वारा ऋजु और सार्वजनिक सुनवाई का हकदार है।

अनुच्छेद 11-

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दंडित अपराध का आरोप है यह अधिकार है कि उसे तब तक निरपराध माना जायेगा जब तक कि उसे लोक विचारण, में जिसमें उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिये आव"यक सभी गारंटियॉ प्राप्त हो विधि के अनुसार दोषी साबित नही कर दिया जाता।

किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य या लोप के कारण जो किये जाने के समय राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय विधि के अधीन दांडिक अपराध नही था, किसी दांडिक अपराध का दोषी निर्धारित नही किया जायेगा। उस शास्ति से अधिक शास्ति से अधिरोपित नही की जायेगी। उस समय लागू थी जब अपराध किया था।

अनुच्छेद 12. किसी भी व्यक्ति की एकातंता, कुटुंब, घर या पत्र व्यवहार के साथ मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जायेंगा और उसके सम्मान और ख्याति पर प्रहार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे हस्तक्षेप या प्रहार के विरूद्ध विधि के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 13- प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर संचरण और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है।

1. प्रत्येक व्यक्ति को, अपने दे"ा को या किसी भी दे"ा को छोड़ने और अपने दे"ा मे वापस आने का अधिकार है ।

अनुच्छेद 14-

1 प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न के कारण अन्य दे"ाों में भी शरण मॉगने और लेने का अधिकार है।

2 2. इस अधिकार का अरानैतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धान्तों के प्रतिकूल कार्यों से वासतविक रूप से उद्भुत अभीयोजनों की द"ाा में नही लिया जा सकेगा।

अनुच्छेद 15-

1- प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है।

2- किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से न तो उसकी राष्ट्रीयता से और न राष्ट्रीयता परिर्वतन करने के अधिकार से वंचित किया जायेगा।

अनुच्छेद 16-

1- वयस्क पुरूषों और स्त्रियों को, मूल वं"ा, राष्ट्रीयता या धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना विवाह करने और कुटुम्ब स्थापित करने का अधिकार है। वे विवाह के विषय में, विवाहीत जीवन काल में और उनके विघटन पर समान अधिकार के हकदार हैं।

2- विवाह के इच्छुक पछकारों की स्वतंत्र और पूर्ण सम्मति से ही विवाह किया जायेगा।

3- कुटुम्ब, समाज की नैंसर्गिक और प्राथमिक सामाजिक इकाई है और इससे समाज और राज्य द्वारा संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 17-

1- प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या अन्य व्यक्तिों के साथ मिलकर सम्पति का स्वामी बनने का अधिकार है।

2- किसी को भी उसकी सम्पति से मनमाने ढंग से वंचित नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 18-

प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंत:करण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार की उत्पति अपने धर्म या वि"वास को परिर्वतित करने की स्वतंत्रता अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप से या अकेले ि"ाक्षा, व्यवहार, पूजा और पालन में अपने धर्म या वि"वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है।

अनुच्छेद.19-

प्रत्येक व्यक्ति को अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार के अर्न्तगत हस्तक्षेप के बिना अभिमत रखने और किसी भी संचार माध्यम

से और सीमाओं का विचार किये बिना जानकारी मॉगने, प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता भी है।

अनुच्छेद 20-

1. प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का अधिकार है।
2. किसी भी व्यक्ति को किसी संगम में सम्मलित होने के लिये विव"ा नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 21-

1. प्रत्येक व्यक्ति को अपने दे"ा की सरकार में सीधे या स्वतंत्रता पूर्वक चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है।

2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने दे"ा की लोक सेवा मे समान पहुॅच का अधिकार है।

3. लोकमत सरकार के प्रधिकार का आधार होगा, इसकी अभिव्यक्ति आवधिक और वास्तविक निर्वाचनों में होगी, जो सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा या समतुलय स्वतंत्र मतदान की प्रक्रिया द्वारा किये जायेंगे।

अनुच्छेद 22-

प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के सदस्य के रूप मे, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। और वह राष्ट्रीय प्रयास और अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से और प्रत्येक राज्य के संसाधनों के अनुसार ऐसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है जो उसकी गरिमा और उसके व्यक्तित्व उनमुक्त विकास के लिये अनिवार्य है।

अनुच्छेद 23-

1- प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का, नियोजन के स्वतंत्र चयन का, कार्य की न्यायोचित और अनुकूल द"ाओं का और बेरोजगारी के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार है।

2- प्रत्येक व्यक्ति को किसी विभेद के बिना समान कार्य के लिये समान वेतन का अधिकार है।

3- प्रत्येक व्यक्ति को, जो कार्य करता है, न्यायोचित और अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार है जिससे स्वम उसका और उसके कुटुम्ब का मानव गरिमा के अनुरूप जीवन सुनिचित हो जाय। और यदि आव"यक हो तो, सामाजिक संरक्षण के अन्य साधनों द्वारा उसे अनुपूरित किया जाय।

4- प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों के संरक्षण के लिये व्यवसाय संघ बनाने और उसमें सम्मानित होने का अधिकार है।

अनुच्छेद 24-

प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवका"ा का अधिकार है, जिसके अर्न्तगत कार्य के घंटो की सीमा और वेतन सहित आवधिक छुट्टियां भी हैं।

अनुच्छेद 25-

1- प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन के स्तर का अधिकार है, जो स्वयं उसके और उसके कुटुम्ब के स्वासथ्य और कल्याण के लिये प्रयाप्त है, जिसके अर्न्तगत भोजन, वस्त्र, मकान और चिकित्सा तथा आवस्यक सामाजिक सेवायें भी है, और बेरोजगारी रूग्णता, अ"कतता, वृद्धावस्था वैधब्य या उसके नियंत्रण के बाहर परिस्थितियों में जीवन यापन के अभाव की द"ाा मे सुरक्षा का अधिकार है।

2- मातृत्व और बाल्यकाल वि"ोष देखभाल और सहायता के हकदार है। सभी बच्चे चाहे उनका जन्म विवाहित के जीवन काल मे हुआ हो अन्यथा, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त करेगें।

अनुच्छेद 26-

1- प्रत्येक व्यक्ति को ि"ाक्षा का अधिकार है। कम से कम प्राथमिक और मौलिक स्तर पर ि"ाक्षा नि"ाुल्क होगी। प्राथमिक ि"ाक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और

वृतिक ि"ाक्षा साधरणत: उप्लबध कराई जायेगी और उच्च ि"ाक्षा, सभी व्यक्तियों को गुणागुण के आधर पर प्राप्त होगी।

2- ि"ाक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर की बृद्धि होगी। यह सभी राष्ट्रों, मूलवं"ा विषयक या धार्मिक समूहों के बीच सदाचार,साहिष्णुता और मैतिरी की अनु बृद्धि के लिये श्रेष्ठ होगी और शांति बनाये रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र के कार्यकलापों को अग्रसर करेगी।

3- मता पिता को यह चयन करने का पुर्वाधिकार है कि उनकी संतान को किस प्रकार की ि"ाक्षा दी जायेगी।

अनुच्छेद 27-

1- प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सास्कृतिक जीवन में मुक्त रूप से भाग लेने, कलाओं का आनन्द लेने और वैज्ञानिक प्रगाति और उसके कायदों से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।

2- प्रत्येक व्यक्ति को स्वनिरमित वैज्ञानिक, साहित्यतिक या कलात्मक कृति के परिणाम स्वरूप होने वाले नैतिक और भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 28-

प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अंर्तराष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में वर्णित अधिकरों और स्वतंत्रताओं का पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 29-

1- प्रत्येक व्यक्ति के उस समुदाय के प्रति कर्तव्य है जिसमें उसके व्यक्तित्व का उनमुक्त और पूर्ण विकास संभव है।

2- प्रत्येक व्यक्ति पर अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग में वही मर्यादायें लगाई जायेगी जो अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सम्यक

मान्यता और सम्मान सुनि"चत करने और प्रजातंत्रात्मक समाज में नैतिकता लोक व्यवस्था और साधारण कल्याण की न्यायोचित अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिये बिधि द्वारा की गयी है।

3- किसी भी द"ाा में इन अधिकारों, स्वतंत्रताओं का संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धान्तों के प्रतिकूल प्रयोग नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 30-

इस घोषणा की किसी बात का निर्वाचन नही किया जायेगा कि उसमे किसी राज्य, समूह या व्यक्ति के लिये कोई ऐसा कार्यकलाप या कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका लक्ष्य इसमे उपवर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं मे से किसी का विना"ा करना है।

उत्तर प्रदे"ा रिपब्लिकन पार्टी के सभी महानुभावों से अनुरोध है कि पार्टी के इस साहित्य का आम जनता में व्यापक प्रचार कर मानवाधिकार की प्राप्ति के लिये जनमत जागत करें। हमारा आन्दोलन बिना खूनी कान्ति के बुद्ध के साम्यवादी या मानववादी सिद्धान्त के आद"ा पर चलेगा और चलता ही रहेगा।

पार्टी द्वारा समय-समय पर की गई मॉगें

रिपब्लिकन पार्टी ने अपने जन्मकाल 1956 से चालू वर्ष 1989 तक अनेक सत्याग्रह प्रर्द"ान व अन्दोलन किये ।इन अवसरों पर जो ज्ञापन प्रस्तुत हुए उनमें प्रमुख मांगे इस प्रकार है:-

1. भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर का चित्र संसद भवन के सेन्ट्रल हाल मे लगाया जाय।

2. लखनऊ मे विधान भवन के निकट रायल होटल के स्थान पर बनी वाली नयी इमारत का नाम "बाबासाहेब डा0 अम्बेडकर भवन" रखा जाय। उसके जिस हिस्से

मे बाबा साहेब ठहरे थे उसे उनके नाम पर ऐतिहासिक स्मारक स्थल के रूप मे निर्मित किया जाय।

3. सभी पाठक पुस्तकों मे बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर का जीनव प्रकाि"ात कराया जाय।

4. बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर के जन्म दिन 14 अप्रैल राजपत्रिका छुटटी घोषित की जाय।

5. बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को संवैधानिक सुविधायें पूर्ववत प्रदान की जाएँ।

6. जो भूमि जोतकर अनाज पैदा करते हैं उन्हीं का राष्ट्र की भूमि पर अधिकार हो।

7. भूमि और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

[महत्वपूर्ण उद्योगों के साथ बैकों, खानों तथा चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण हो।]

8. जब तक भूमि का राष्ट्रीयकरण नही होता बेकार और पर्ती जमीने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में वितरित की जाय।

[क] भूमि सीमा कानून से बचने के लिये दबाई गयी जाली सहकारी समितियां व लिमिटेड कम्पनियां समाप्त कर दी जाएं।

[ख] असिंचित भूमि के नाम पर कब्जे मे लाई गयी भूमि जोकि सिचित हो चुकी है कब्जेदारी से छीन कर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में वितरित की जाय।

9. भूमि की हदबन्दी इस प्रकार की जाय कि उसकी सीमा प्रति किसान ढाई एकड़ से कम व दस एकड़ से अधिक न हो।

10. ग्रामीणों को सस्ते दामों में बिजली दी जाय।

11. शहरी आबादी पर पड़ने वाली भार को कम करने के लिये बड़े उद्योगों को ग्रामों मे लगाया जाय।

12. दोहरी ि"ाक्षा प्रणाली समाप्त की जाय।

13. उत्तर प्रदे"ा व बिहार में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाय।

14. बढ़ती हुई मंहगाई के अनुपात से अनुसूचित/जन जाति के छात्रों की छात्रवृति तिगुनी की जाय।

15. लोक सेवा अयोग में उम्मीदवारों के चयन में घपले बाजी को रोकने के लिये कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि लिये जायें।

16. अल्पसंख्कों का आरक्षण उनकी आबदी के अनुपात से किया जाय।

17. पिछड़े वर्ग की सामाजिक व शैक्षिक स्थिति के अनुसार संविधान प्रदत्त सुविधाएँ देने के लिये मंडल आयोग की संस्तुतियां लागु की जाय।

18. सभी धार्मिक स्थल 15 अगस्त सन् 1947 की स्थिति में जो जिसके हों उसी के माने जाएं।

19. प्रत्येक जिले मे मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना हो।

20. भ्रटाचार को रोकने के लिये उनके कारणों का अंत किया जाय।

21. बढ़ती हुई मंहगाई, पूँजीवाद को बढावा देने व उसके बल पर सत्ता को बनाये रखने का काम है अत: इसे समाप्त किया जाय।

22. भारत निर्वाचन आयोग खर्चीलें चुनाव पर प्रतिबन्ध लगाये तथा चुनाव प्रचार का खर्च पार्टी व मित्रों तथा सहयगियों का न मानकर सीधे प्रत्याषी का माना जाय।

1- हर वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिये आव"यक है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व नियम बनाया जाय।

वोट की धांधली व बूथों पर कब्जेदारी को रोकने के लिये उपाय हो तथा ईमान दारी से चुनाव की प्रकिया के लिये प्रत्येक मतदाता के पास उसके चित्र के साथ परिचय पत्र अनिवार्य कर दिया जाय।

23. कम वेतन पाने वाले सभी मजदूरों के हित मे मिनमम वेजेज ऐक्ट को सकिय रूप प्रदान किया जाय।

24. दलित वर्गों का उत्पीड़न रोका जाय।

25. अलाभकर विकास योजनाएं समाप्त कि जायं।

26. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को "ीध्राति शीघ्र पूरा किया जाय।

27. मालिन बस्तियों मे रहने का उत्रति मय सुधार हो ।

28. खाद्य सामग्री वितरण की सही व्यवस्था हो तथा सस्ते गल्ले की दुकान दूर दराज जगहों व देहात के क्षेत्रों मे भी खोली जाय।

29. राजस्थान के उच्चन्यालय के परिसर में लगाई गई मनु की प्रतिमा हटाई जाय क्योकि मनु के विधान का भारतीय संविधान से कोई मेल नहीं है।

30. भारतीय संविधान के प्रमुख ि"ाल्पी बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर के चित्र भारत के प्रत्येक न्यायालय और सरकारी कार्यलयों में लगायें जायं। हमने यहॉ उन मांगों तथा आन्दोलनों का जिक्र नही किया है।जो कि महात्मा जोतिबा फूले तथा स्वामी अछूतानन्द जैसे त्यागी तपस्वी महापुरूषों के नेतृत्व में सामाजिक कान्ति के रूप में उभरे थे।उन घटनाओं का भी जिक्र नही है जो दे"ा की स्वराज्य की लडाई के साथ ही जनता के स्वराज्य के लिये लड़े गये थे। उनका जिक्र नही है जो शेडयूल्ड कास्ट फेडरे"ान से पूर्व डीप्रस्टक्लास बहिष्कृतक्लास आदि विभिन्न नामों से दे"ा के कोने-कोने से अपनी मांगों के आन्दोलन में कुर्बान

थे।

बाबा साहेब ने सच ही कहा था कि उन्हांने दलित समाज को ि"ाक्षित बनाने के लिये जितना संघर्श किया उतना यदि भूमि-हीनों को भूमि दिलाने के लिये करते तो ज्यादा कल्याण होता। वे कितने बडे दूर द"र्ी थे जिन्हें दलित समाज के इन बाबुओं स पहले ही समाज के हित की आ"ाा क्षीण हो चुको थी। उनका सोचना सही ही है कि आज वे बाबासाहेब की

रिपाब्लिकन पार्टी का जाने अनजाने विरोध करते हुए उन्हीं का त्याग व तपस्या तथा परिश्रम की बदौलत प्राप्त धन व समय को खर्च कर व्यक्ति वाद को बढावा दे रहे है।

साथी रिपब्लिकन महानुभाव

रिपाब्लिकन पार्टी के संबन्ध में इस पुस्तक को बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखने की सबसे पहली मेरी कोि"ास यह रही कि दे"ा के समस्त रिपब्लिकन पार्टी के नाम धारी नेता व कार्यकर्ता सच्चे व साफ मन से एकता में लीन हो बाबा साहेब की रिपब्लिकन पार्टी को राष्ट्र की पार्टी बनाने का बीड़ा उठाकर पुन: जाग्रत हो जो रिपब्लिकन पार्टी को किन्ही कारणों से छोड़ कर कहीं चले गये हों पुन: वापस आयें।

बाबा साहेब की रिपब्लिकन पार्टी के संविधान की ही नकल नहीं बल्कि झण्डें की भी नकल व चुनाव चिन्ह हाथी को लेकर उत्तर भारत खास कर उत्तर प्रदे"ा में जनता को जितना गुमराह कर रिपब्लिकन पार्टी को समाप्त करने का 'ाडण्यंत्र किया गया वह अब साक्षात हो चुका है। साफ है कि रिपब्लिकन पार्टी के रहने से बाबा साहेब का नाम व उनका मि"ान उजागर होगा। बाबा साहेब का नाम लेकर उनके मि"ान की दुहाई देकर अपनी पार्टी चलाने वाले के पीछे चलने वाली भ्रामक भीड़ जिसे अपना रास्ता ही नहीं मालूम ज्ञात होने पर रिपब्लिकन पथ को अपनाएगी। मेरे विचार से यह हमारी ही कमी है की जिस कारण बाबा साहेब की जुझारू फौज का हमारा काम न होने से रूख बदल गया। हम सही चलेगें तो दूसरे कारवां मे लगे लोग हमें चलते देख स्वत: इस कहावत को चरितार्थ कर देंगे की "नीम का छिलका नीम में ही लगता है" उत्तर प्रदे"ा के समस्त विवेक "ाील लोगों ने नि"चय किया की वे रिपब्लिकन पार्टी को एक इकाई के रूप मे उत्तर प्रदे"ा में गठित कर आगे बढ़ायेगें। हमारे इस गठन की मान्यता भारत निर्वाचन आयोग से तब मिल पाई जब की नामकंन पत्र की वापसी का समय था। इसके बाद आयोग के हिन्दी गजट मे फिर गडबड़ी हुई और उसे सही करने की सुचना की 1 नवम्बर 1989 को तब मिली जब कि 24 नवम्बर से वोटों की

गिनती प्रारम्भ थी। यह घटना हमारे दल के चरित्र का एक नमूना है। पार्टी की रजिस्ट्री को लेकर बाधा अव"य उत्पन्न हुई जिसका असर मतों पर पड़ा। किन्तु विचारों मे युद्ध स्तर का उत्साह बराबर बरकरार है।

10 दिसम्बर सन् 1948 को संयुक्त राष्ट्र सघं की ओर से मानव अधिकार धोषण पत्र जारी हुआ था। वस्तविकता यह है कि रिपब्लिकन पार्टी का संघर्ष ही मानव अधिकार का क्षेत्र है इसलिये भारत में इस दूसरे स्वतंत्रता संग्राम "मानव अधिकार" के नि"चित हम इस घोषण पत्र के साथ दिनांक 10 दिसम्बर सन् 1989 इ0 को दे"ा की रिपाब्लिकन जनता के नाम रिपाब्लिकन पार्टी के नाम उत्थान के र्निमित यह पुस्तक भेट कर रहें है।

इसी बीच विधान सभा क्षेत्र सिकंद्राबाद जिला बुलन्द शहर के रिपब्लिकन प्रत्या"ाी श्री सकटू सिंह को गोली मार दी गई। वे शहीद हो गयें उन्हें प्रलोभन दिया गया था कि वे बीस हजार रूपये लेकर चुनाव मैदान से हट जाएॅ। शहीद संकटू सिंह जी ने मरना कबूल किया पर सिद्धान्त नहीं छोड़ा। हमने प्रतिज्ञा की है कि उनकी शहादत मे हम पार्टी को अमर बनाएगें।

लेखक

निर्वाण प्राप्त- डा0 गया प्रसाद प्र"ाान्त

552/2 राजेन्द्र नगर दूसरा मार्ग

लखनऊ 226004 उत्तर प्रदे"ा